

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

5972-75

4.10.2016

पत्रांक-एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0/105वॉ-4/2016-17

दिनांक 09.2016

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2016-17 में प्रथम सन्दर्भन इकाइयों के संचालन हेतु संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय एवं सम्बन्धित दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्ययोजना पर भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में एफ0आर0यू0 पर कार्यरत संविदा विशेषज्ञों एवं महिला चिकित्साधिकारी के मानदेय एवं सम्बन्धित दिशा-निर्देश निम्नवत है-

1. प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक की तैनाती-

- ✓ गत वर्ष पत्र संख्या-एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.आर.यू./84डी0-वॉ-2/2015-16/7401-75-10 दिनांक 16.10.2015 द्वारा प्रदेश के कुल 286 प्रथम सन्दर्भन इकाइयों को जनपद एवं स्वास्थ्य इकाई की भौगोलिक स्थिति यथा जनपद मुख्यालय/तहसील/ब्लॉक इकाई मुख्यालय से दूरी, इकाई द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल/जनसंख्या, दुर्गमता, क्षेत्र का पिछड़ापन, नक्सली प्रभावित क्षेत्र तथा लम्बे समय से विशेषज्ञों की अनुपलब्धता आदि बिन्दुओं पर क्रमशः 89 केटेगरी ए, 135 केटेगरी बी एवं 62 केटेगरी सी में वर्गीकृत किया गया। पत्र में विभिन्न केटेगरी के लिये मानदेय के स्लैब भी निर्धारित किये जो निम्नानुसार हैं-

✓ केटेगरी	✓ स्लैब-1	✓ स्लैब-2	✓ स्लैब-3	✓ स्लैब-4
✓ ए	✓ 65000	✓ 70000	✓ 75000	✓ 80000
✓ बी	✓ 85000	✓ 90000	✓ 95000	✓ 100000
✓ सी	✓ 105000	✓ 110000	✓ 115000	✓ 120000

- ✓ उपर्युक्त स्लैब 1, 2, 3, 4 एम0डी0/एम0एस0 की डिग्री धारकों के लिये क्रमशः 02 वर्ष से कम, 02-05 वर्ष, 05-08 वर्ष एवं 08 से अधिक वर्ष का अनुभव हैं। डिप्लोमा धारकों को अगले स्लैब में जाने के लिये एक अधिक वर्ष अर्थात् दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्लैब हेतु कम से कम क्रमशः 03, 06, 09 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा। उपर्युक्तानुसार जिन विशेषज्ञों का अनुभव अगले स्लैब में जाने के बराबर हो जायेगा वे अगले स्लैब के लिये अर्ह होंगे। तदनुसार स्लैब स्वीकृत करने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति अधिकृत है जिसकी सूचना राज्य स्तर पर अगले माह की एफ0आर0यू0 रिपोर्ट में देनी आवश्यक होगी।
- ✓ कतिपय जनपदों में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों के तैनाती स्थल स्थिर नहीं किये गये हैं जिससे उनके मानदेय के स्लैब भी लागू नहीं किये जा सके हैं। यह सर्वथा अनुचित है। सभी पूर्व से कार्य कर रहे संविदा विशेषज्ञों के उपर्युक्त तालिकानुसार तैनाती स्थल व स्लैब में मानदेय निर्धारण का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति से अतिशीघ्र स्वीकृत करायें। नॉन एफ0आर0यू0 पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को निष्कासित/ अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- ✓ आप अवगत हैं कि अप्रैल 2016 से प्रदेश की प्रथम सन्दर्भन इकाइयों हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा एफ0आर0यू0 चयन एवं स्लैब निर्धारण की कार्यवाही राज्य स्तर पर वाक-इन इण्टर व्यू के माध्यम से ही की जा रही है। उनके सम्बन्ध में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी वरन् इसकी सूचना आगामी जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अध्यक्ष कार्यकारी समिति को दे दी जायेगी। यदि चयनित विशेषज्ञ चयनित तैनाती स्थल पर नियुक्ति के 15 दिन तक योगदान सूचना नहीं देता अथवा सम्पर्क नहीं करता है तो gmmhup@gmail.com एवं fru.dghealth@gmail.com पर तत्काल सूचित करें जिससे नये विशेषज्ञ का चयन किया जा सके।
- ✓ वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर किसी संविदा विशेषज्ञ की नवीन तैनाती अथवा स्थल परिवर्तित करना सम्भव नहीं है। जनपदों में कार्यरत संविदा विशेषज्ञ जो किसी अन्य इकाई अथवा जनपद के एफ0आर0यू0 पर संविदा पर कार्य करने का इच्छुक हों को राज्य स्तर पर वाक-इन-इण्टरव्यू में पुनः सम्मिलित होना होगा।
- ✓ जनपदों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये गये कार्यों की राज्य स्तर पर समीक्षा करने पर संज्ञान में आया है कि प्रायः जनपद स्तर पर उनके कार्यों का नियमित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार की कंडीशनैलिटी के अनुसार संविदा पर कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन या एनेस्थेतिस्ट द्वारा प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 05 एवं जनपदीय चिकित्सालयों में 10 सीजेरियन प्रसव कराया जाना आवश्यक है।
- ✓ मुख्य चिकित्साधिकारी अधोउपलब्धि वाले विशेषज्ञों के साथ समय समय पर बैठक आयोजित कर स्थानीय स्तर पर गतिरोध अथवा सहयोग की कमी का निराकरण करना सुनिश्चित करें। इस कारण खराब उपलब्धि के लिये एफ0आर0यू0 प्रभारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी समान रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे। आवश्यकतानुसार सीजेरियन हेतु टीम पूर्ण करने के लिये ऑन कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक भी उपलब्ध करायें। उन्हें एस0बी0आर0टी0 दिवसों की जानकारी दें एवं एच0आर0पी0 क्लीनिक आयोजित कर इलेक्टिव सीजेरियन प्रसव आरम्भ करने हेतु उपयुक्त वातावरण दें।

कार्य एवं उत्तरदायित्व-

- ✓ किसी भी माह में शून्य अथवा औसतन 05 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह (ग्रामीण इकाई पर) अथवा औसतन 10 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह (जनपद स्तर पर) से कम उपलब्धि वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को चेतावनी निर्गत कर प्रशासनिक सहयोग से उपलब्धि बढ़ाने का प्रयास करें। लगातार तीन माह तक अधोप्रगति होने पर अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। दूसरी इकाई पर किये जाने वाले सिजेरियन ऑपरेशन की गणना व्यक्तिगत उपलब्धि में नहीं की जायेगी इसकी जानकारी उन्हें पूर्व से ही होनी चाहिए। संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों से मेडिको लीगल/पोस्टमार्टम कार्य न कराया जाये।
- ✓ प्रत्येक सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई (जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0) के लिए संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ का दायित्व आउटडोर, ए0एन0सी0 क्लीनिक, हाई रिस्क एवं सीवियर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रबन्धन, सामान्य एवं जटिल प्रसवों का उपचार, सिजेरियन प्रसव, प्रसव कक्ष/शल्य कक्ष की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, सुरक्षित गर्भपात एवं प्रसव पश्चात परिवार कल्याण सेवाओं के साथ चिकित्सालय प्रभारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य सम्पादित करना है। जहाँ पर 01 से अधिक

- स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वहाँ शिफ्ट ड्यूटी रोस्टर बनाकर 24 घण्टे सीजेरियन प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें।
- ✓ इसी प्रकार संविदा निश्चेतक का उत्तरदायित्व होगा कि वे रूटीन इलेक्टिव सर्जरी में सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त 24 घंटे जटिल सीजेरियन प्रसव प्रबन्धन हेतु भी उपलब्ध रहेंगे।
 - ✓ पोस्ट ऑपरेटिव केयर एफ0आर0यू0 पर तैनात सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों (नियमित अथवा संविदा) की सामूहिक जिम्मेदारी होगी जो रोस्टर से ड्यूटी के आधार पर इसे सम्पादित करेंगे। इस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी प्रथम सन्दर्भन इकाई यथासम्भव सहयोग देते हुए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता एवं समन्वय सुनिश्चित करायें।

वित्तीय व्यवस्था-

- ✓ जनपदों से प्राप्त 31 अगस्त 2016 तक कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति/संख्या की सूचना के आधार पर 116 संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक की 09 माह (अप्रैल-दिसम्बर, 2016) के मानदेय रू0-80,000.00 प्रति माह के औसत मानदेय की दर से एफ0एम0आर0 संख्या-ए.8.1.3.1.b में पूर्व में अवमुक्त रू0 278.400 लाख घटाते हुये अवशेष धनराशि रू0-571.20 लाख उपलब्ध करायी जा रही है।
- ✓ जनपदों से प्राप्त 31 अगस्त 2016 तक कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति/संख्या की सूचना के आधार पर 31 संविदा निश्चेतकों के 09 माह (अप्रैल-दिसम्बर, 2016) के मानदेय रू0-80,000.00 प्रति माह के औसत मानदेय की दर से एफ0एम0आर0 संख्या-ए.8.1.3.3.b में पूर्व में अवमुक्त रू0 69.60 लाख घटाते हुये अवशेष धनराशि रू0-158.40 लाख उपलब्ध करायी जा रही है।
- ✓ ध्यान रहे कि यह औसत दर आंकलन की सहूलियत के लिये है। 01 अप्रैल 2016 से मानकानुसार क्रियाशील विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्लैब निर्धारित कर उन्हें मानदेय आबंटित किया जाये।
- ✓ प्रत्येक माह चिन्हित एफ0आर0यू0 की प्रगति रिपोर्ट 05 तारीख तक संलग्न प्रारूपों पर राज्य स्तर को अवश्य उपलब्ध करा दें। यह रिपोर्ट सभी जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अपने जनपद के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 के सहयोग से तैयार कर मण्डलीय कार्यालय को तथा upnhmfu@gmail.com पर ससमय प्रेषित करें।


2. सामान्य वित्तीय दिशा निर्देश-

- ✓ समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जाये।
- ✓ अपने जनपद में सभी स्वीकृत संविदा पदों पर कर्मियों की औचित्यपूर्ण तैनाती का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का ही है।
- ✓ संलग्न तालिका में जनपदवार स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर भर्ती किसी भी स्थिति में नहीं की जाय। इसमें पूर्व के सभी स्वीकृत पद समाहित हैं।
- ✓ आबंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- ✓ कोई भी भुगतान नगद न किया जाये वरन् आधार कार्ड लिंकड बैंक खाते में ही किया जाये।
- ✓ संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा।
- ✓ प्राविधानित धनराशि का व्यय आबंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।

- ✓ धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- ✓ उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।


भवदीय,


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक।

पत्रसंख्या-एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/मा0संसा0/105वॉ-4/2016-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
- 5 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 6 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
- 7 गार्ड फाइल।


(डा0 मनोज कुमार शुक्ल)
उपमहाप्रबन्धक मातृ स्वा0

Contractual FRU Specialists under Maternal Health for year 2016-17

S. No.	Name of District	Salaries of Contractual Gynaecologists/Surgeons in lakh Rs					Salaries of Contractual Anesthetists in lakh Rs				
		Total Appointed Gyn	Total Appointed Surg	Total salaries @ Rs 80,000.00 average pm. For 9 months	1st Installment released for 3 months	To be released to the districts	Total Sanc. Anaesthetists	Total salaries @ Rs 80,000.00 average pm. For 9 months	1st Installment released for 3 months	To be released to the districts	
	FMR	A.8.1.3.1b					A.8.1.3.3b				
1	Agra	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	1	7.2	0.0000	7.2000	
2	Aligarh	6	0	43.2000	9.60000	33.6000	2	14.4	7.2000	7.2000	
3	Allahabad	3	0	21.6000	7.20000	14.4000	1	7.2	2.4000	4.8000	
4	Ambedkar Nagar	0	0	0.0000	2.40000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
5	Amethi	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
6	Amroha	2	0	14.4000	4.80000	9.6000	0	0	0.0000	0.0000	
7	Auraiya	0	0	0.0000	2.40000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
8	Azamgarh	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
9	Badaun	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
10	Baghpat	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
11	Bahraich	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
12	Ballia	0	0	0.0000	2.40000	0.0000	1	7.2	2.4000	4.8000	
13	Balrampur	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
14	Banda	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
15	Barabanki	0	0	0.0000	2.40000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
16	Bareilly	3	0	21.6000	4.80000	16.8000	0	0	0.0000	0.0000	
17	Basti	2	2	28.8000	12.00000	16.8000	0	0	0.0000	0.0000	
18	Bhadohi	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
19	Bijnor	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
20	Bulandshahr	1	0	7.2000	7.20000	0.0000	1	7.2	2.4000	4.8000	
21	Chandauli	3	0	21.6000	4.80000	16.8000	0	0	0.0000	0.0000	
22	Chitrakoot	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
23	Deoria	3	0	21.6000	2.40000	19.2000	1	7.2	0.0000	7.2000	
24	Etah	1	0	7.2000	0.00000	7.2000	0	0	0.0000	0.0000	
25	Etawah	1	1	14.4000	4.80000	9.6000	0	0	0.0000	0.0000	
26	Faizabad	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
27	Farrukhabad	1	0	7.2000	0.00000	7.2000	0	0	0.0000	0.0000	
28	Fatehpur	0	0	0.0000	2.40000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
29	Firozabad	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	1	7.2	2.4000	4.8000	
30	GB Nagar	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
31	Ghaziabad	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	1	7.2	2.4000	4.8000	
32	Ghazipur	0	1	7.2000	0.00000	7.2000	0	0	0.0000	0.0000	
33	Gonda	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
34	Gorakhpur	11	0	79.2000	21.60000	57.6000	2	14.4	4.8000	9.6000	
35	Hamirpur	0	1	7.2000	0.00000	7.2000	0	0	0.0000	0.0000	
36	Hapur	1	0	7.2000	0.00000	7.2000	1	7.2	0.0000	7.2000	
37	Hardoi	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	1	7.2	2.4000	4.8000	
38	Hathras	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
39	Jalaun	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
40	Jaunpur	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
41	Jhansi	2	1	21.6000	7.20000	14.4000	0	0	0.0000	0.0000	
42	Kannauj	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
43	Kanpur Dehat	1	1	14.4000	2.40000	12.0000	0	0	0.0000	0.0000	
44	Kanpur Nagar	10	1	79.2000	26.40000	52.8000	9	64.8	19.2000	45.6000	
45	Kasganj	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
46	Kausambhi	1	0	7.2000	4.80000	2.4000	0	0	0.0000	0.0000	
47	Kushinagar	2	1	21.6000	7.20000	14.4000	1	7.2	2.4000	4.8000	
48	Lakhimpur Kheri	2	0	14.4000	2.40000	12.0000	0	0	0.0000	0.0000	
49	Lalitpur	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	1	7.2	2.4000	4.8000	
50	Lucknow	12	0	86.4000	33.60000	52.8000	0	0	0.0000	0.0000	
51	Maharajganj	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
52	Mahoba	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
53	Mainpuri	1	1	14.4000	4.80000	9.6000	1	7.2	2.4000	4.8000	
54	Mathura	3	0	21.6000	9.60000	12.0000	0	0	2.4000	0.0000	
55	Mau	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
56	Meerut	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	2.4000	0.0000	
57	Mirzapur	1	0	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
58	Moradabad	3	0	21.6000	9.60000	12.0000	0	0	0.0000	0.0000	
59	Muzaffarnagar	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
60	Pilibhit	0	1	7.2000	4.80000	2.4000	1	7.2	2.4000	4.8000	

M. S. K.

S. No.	Name of District	Salaries of Contractual Gynaecologists/Surgeons in lakh Rs					Salaries of Contractual Anaesthetists in lakh Rs				
		Total Appoint ed Gyn	Total Appoint ed Surg	Total salaries @ Rs 80,000.00 average pm. For 9 months	1st Installment released for 3 months	To be released to the districts	Total Sanc. Anaesthetists	Total salaries @ Rs 80,000.00 average pm. For 9 months	1st Installment released for 3 months	To be released to the districts	
	FMR	A.8.1.3.1b					A.8.1.3.3b				
61	Pratapgarh	0	1	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
62	Raebareli	2	0	14.4000	4.80000	9.6000	0	0	0.0000	0.0000	
63	Rampur	0	1	7.2000	0.00000	7.2000	1	7.2	0.0000	7.2000	
64	Saharanpur	2	4	43.2000	16.80000	26.4000	2	14.4	4.8000	9.6000	
65	Sambhal	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
66	Shahjahanpur	1	0	7.2000	0.00000	7.2000	0	0	0.0000	0.0000	
67	Shamli	0	1	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
68	Shrawasti	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
69	Siddharth Nagar	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
70	Sitapur	0	1	7.2000	2.40000	4.8000	0	0	0.0000	0.0000	
71	SK Nagar	0	0	0.0000	2.40000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
72	Sonbhadra	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
73	Sultanpur	0	0	0.0000	0.00000	0.0000	0	0	0.0000	0.0000	
74	Unnao	1	0	7.2000	4.80000	2.4000	0	0	0.0000	0.0000	
75	Varanasi	3	0	21.6000	7.20000	14.4000	2	14.4	4.8000	9.6000	
Total		97	19	835.2000	278.40000	571.2000	31	223.2	69.6000	158.4000	

MS/2011